

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : राजस्व/25/1761


दिनांक :-13.11.2022

आदेश

प्रार्थीगण यादविन्द्र सिंह, विक्रम सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सेक्टर नम्बर 9 हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक ए-2/डी/खा-रा/बा-नह/भूअ./4277 दिनांक 30.10.2025 द्वारा चक 10 एएमपी के प.न. 149/165 मु.न. 55 किला न. 16/1 /0.101, 16/2/0.127, 17/0.253, 24/0.253, 25/1/0.228 है. रकबा कमाण्ड होने पर राजस्व रिकार्ड में बरानी से नहरी दर्ज किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट भिजवाई।

अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक तकनीकी/2025/टी-4/2108 दिनांक 28.08.2025 द्वारा चक 10 एएमपी प.न. 149/165 किला न. 16,17,18,23,24,25 मे से रास्ता,खाला,सड़क, नहर एवं गैर मुमकिन इत्यादि की कटौती नही की जानी बतलाते हुए उक्त रकबा कमाण्ड होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि भाखडा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन एवं बिक्री नियम 1955 के उपनियम 17(3) के अनुसार अगर कोई अन्तर राशि बकाया हो, तो जमा करवाकर उक्त प्रश्नगत रकबा को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।


(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :-13.11.2022

क्रमांक:-सम/1762

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें।
2. अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. प्रार्थीगण.....।
4. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
संगरिया